पीठासीन अधिकारी–रतन कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या–154 / 2016

1. श्रीमती सुनीता पत्नी श्री मदनलाल जाति प्रजापत निवासी ग्राम मलसीसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू(राज.) .....वादीगण

बनाम

1. पूर्णसिंह पुत्र स्व प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मींगणा तहसील सुजानढ जिला चूरू (राज.)।
2. बुद्वसिंह पुत्र स्व प्रहलादसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मींगणा तहसील सुजानगढ जिला चूरू (राज.)।
3. राजस्थाना सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू (राज.)।
4. पंजाब नेशनल बैंक शाखा सुजानगढ जिला चूरू(राज.) जरिये श्रीमान शाखा प्रबन्धक, पी.एन.बी. शाखा सुजानगढ जिला चूरू(राज.)

.....प्रतिवादीगण

3.

दावा घोषणात्मक, रेकार्ड संशोधन, विभाजन व चिर निषेधाज्ञा हेतु

उपस्थितः–

1. श्री बुद्विप्रकाश प्रजापत एडवोकेट वादी।
2. श्री अमर सिंह एडवोकेट प्रतिवादी।

दिनांक :30.05.2019

–: निर्णय :–

संक्षिप्त मे वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद घोषणात्मक डिक्री प्राप्ति, रेकार्ड संशोधन विभाजन, पेश कर निवेदन किया है कि रोही मीगणा, पटवार हल्का लोढसर, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सालासर, तहसील सुजानगढ में एक खातेदारी खेत पुराना खाता सं. 08 नया खाता संख्या 10 खसरा नम्बर 360 तादादी 23 बीघा 03 बिश्वा, बा. अब्बल का वादीनी व प्रतिवादीगण सं. 01 ता 02 के संयुक्त खातेदारी में स्थित चला आ राह है। यह कि वादीनी ने वादगत खेत में से दिनांक 05.07.12 को` 04 बीघा 10 बिश्वा खातेदारी खेत निश्चित हिस्सा पंजिकृत विक्रय पत्र दस्तावेज सं. 2012002777 दिनांकिता 05.07.12 उप पंजियक सुजानगढ में पंजिकृत के आधार पर क्रय किया था व विशिष्ट हिस्से पर कब्जा लिया था, जिसके आसे–पासे निम्न प्रकार है।

उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
भूमि(खेत) वादीनी जो बहुादर सिंह राजपूत से क्रय शुदा स्थित है।	सडक सालासर से सुजानगढ एन एचं 65	बकी मांदा भूमि प्रणकर्त्ता / विक्रेतागण / प्रतिवादीगण 01 ता 03	भूमि आनार बानो पत्नी गफूर खां

उपरोक्त आसे–पासे की खातेदारी भूमि पर वादीनी का उपयोग–उपभोग, कब्जा काश्त क्रय दिनांक ही निरन्तर है। प्रतिवादीगण सं 02 व 03 की माता स्व. उगमकवंर का देहान्त हो चुका है। जिसका इन्तकाल (नामान्तरण) विधिवत रूप से प्रतिवादीगण सं. 02 व 03 के हक में दर्ज हो चुका है। अतः वाद वादीनी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं 03 बुद्वसिंह की विधिवत तामिल होने के बावजुद उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गयी, वादिनी तथा प्रतिवादी सं. 02 की और से दिनांक 05.04.2019 को राजीनामा पेश कर निवेदन किया की पक्षकारन के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनाम हो गया है। उक्त वादगत खेत के खातेदार इस प्रकरण को डिक्री करवाना चाहते है। इस दावे को डिक्री किये जाने में वादगत खेत के खातेदारों को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अतः डिक्री फरमाया जाये।

बहस अंतिम सुनी गई वकील वादीनी व वकील प्रतिवादी गण ने अपनी बहस में कथन किया की मुताबिक राजीनामा वाद वादीनी डिक्री फरमाया जाये वकील उभय पक्ष ने बहस में कथन किया की रोही ग्राम मींगणा पटवार हल्का लोढसर, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सालासर, तहसील सुजानगढ में एक खातेदारी खेत पुराना खाता सं. 08 नया खाता संख्या 10 खसरा नम्बर

360 तादादी 23 बीघा 03 बिश्वा, बा. अब्वल का वादीनी व प्रतिवादीगण सं. 01 ता 02 के संयुक्त खातेदारी में स्थित चला आ रहा है। वादीनी ने वादगत खेत में से दिनांक 05.07.12 को 04 बीघा 10 बिश्वा खातेदारी खेत निश्चित हिस्सा पंजिकृत विक्रय पत्र दस्तावेज सं. 2012002777 दिनांकिता 05.07.12 उप पंजियक सुजानगढ में पंजिकृत के आधार पर क्रय किया था व विशिष्ट हिस्से पर कब्जा लिया था, जिसके आसे–पासे निम्न प्रकार है।

उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
भूमि(खेत) वादीनी जो बहुादर सिंह राजपूत से क्रय शुदा स्थित है।	सडक सालासर से सुजानगढ एन एचं 65	बकी मांदा भूमि प्रणकर्त्ता /विक्रेतागण/प्रतिवादीगण 01 ता 03	भूमि आनार बानो पत्नी गफूर खां

उपरोक्त आसे–पासे की खातेदारी भूमि पर वादीनी का उपयोग–उपभोग, कब्जा काश्त क्रय दिनांक ही निरन्तर है। प्रतिवादीगण सं 02 व 03 की माता स्व. उगमकवंर का देहान्त हो चुका है। जिसका इन्तकाल (नामान्तरण) विधिवत रूप से प्रतिवादीगण सं. 02 व 03 के हक में दर्ज हो चुका है। अतः वादीनी व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वादिनी का वाद घोषणात्मक व रेकार्ड संशोधन एवं की हद तक डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विस्तृत विवेचनानुसार वादिनी का वाद घोषणात्मक एवं संशोधन एवं विभाजन की हद तक अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने योग्य है

अतः वादिनी का वाद घोषणात्मक एवं रेकार्ड संशोधन एवं विभाजन की हद तक डिक्री किया जाकर वादगत खेत खसरा नम्बर खेत पुराना खाता सं. 08 नया खाता संख्या 10 खसरा नम्बर 360 तादादी 23 बीघा 03 बिश्वा, बा. अब्वल का वादीनी व प्रतिवादीनीगण सं. 01 ता 02 के संयुक्त खातेदारी में स्थित चला आ रहा है। वादीनी ने वादगत खेत में से दिनांक 05.07.12 को 04 बीघा 10 बिश्वा खातेदारी खेत निश्चित हिस्सा पंजिकृत विक्रय पत्र दस्तावेज सं. 2012002777 दिनांकिता 05.07.12 उप पंजियक सुजानगढ में पंजिकृत के आधार पर क्रय किये गये भूमी का निम्नासुर खातेदार व पृथक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते है जिसके आसे–पासे निम्न प्रकार है।

उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
भूमि(खेत) वादीनी जो बहुादर सिंह राजपूत से क्रय शुदा स्थित है।	सडक सालासर से सुजानगढ एन एचं 65	बकी मांदा भूमि प्रणकर्त्ता /विक्रेतागण/प्रतिवादीगण 01 ता 03	भूमि आनार बानो पत्नी गफूर खां

तहसीलदार, सुजानगढ वादगत खेत मे उपरोक्तानुसार वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे अंकन करवाये। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार,सुजानगढ को लिखा जावे। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार डिक्री जारी हो। बैंक रहन की प्रविष्टि यथावत रहेगी।

निर्णय आज दिनांक **30.05.2019** को सरे ईजलास सुनाया गया ।

30/05/19

(रतन कुमार स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी,
सुजानगढ